

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 18/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार - (विक्रेता व प्रोपराइटर)-  
मै.महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 228 बी -उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर।
2. मै. महोदव इंडस्ट्रीज, एफ 228 बी -उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/58

निर्णय

दिनांक: 30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नमूना संग्रहण के दिवस गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या एफ 5(1) विस्वा./ ग्रुप-3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान दिन क्रमांक- प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2023/10077 दिनांक 26.12.2023 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.08.2023 को समय शाम 04:15 बजे को मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 228 बी-उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर), मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 228 बी-उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर को अपना परिचय दे कर संस्थान के अंदर रखे खाद्य पदार्थ Edible Oil (family lite premium quality) जार पैक के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ Edible Oil (family lite premium quality) के 2 लीटर जार पैक के 54 नग को इकाई पर सप्लाई/बेचान हेतु होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ Edible Oil (family lite premium quality) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ Edible Oil (family lite premium quality) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को कथ हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ Edible Oil (family lite premium quality) 2 लीटर के 4 मूले पैकेट को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कथशुदा खाद्य पदार्थ Edible Oil (family lite premium quality) का नगद भुगतान 1260 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Edible Oil (family lite premium quality) के पोली पैकेटों को गत्ता बॉक्स में पैक कर 4 नमूने तैयार कर व उस पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-1926 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-1926 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहन को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर) एवं गवाहन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./1248/Act/2023/1248 Dated 25.08.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1926 Contravenes the Regulation Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर), मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 228 बी-उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का Edible Oil (family lite premium quality) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राज.)

- अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि
1. यह कि परिवादी द्वारा परिवाद की मद संख्या:-1 में उन के द्वारा अंकित नियुक्ति की तिथि एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में उक्त खाद्य सुरक्षा के पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत होने की परिवादी को जानकारी नहीं है। आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।
  2. यह कि परिवाद की मद संख्या:-2 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।
  3. यह कि परिवाद की मद संख्या:-3 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा ईकाई पर बेचान नहीं किया जाता। परिवादी द्वारा मौका पर अप्रार्थी को फार्म नम्बर:-5 ए भरकर नहीं दिया बल्कि परिवादी के स्टॉफ ने अप्रार्थी संख्या:-1 को डरा धमकाकर खाली फार्मों एवं कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। परिवादी ने मद संख्या:-3 में अधूरे कथन अंकित किए हैं। परिवादी ने इस तथ्य का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया कि अप्रार्थीगण की ओर से तथाकथित ईडेबल ऑयल किसी फर्म को सप्लाइ या बेचान किया था या किया जाना था। इसी आधार पर परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य हैं।
  4. यह कि परिवाद की मद संख्या:-4 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा फार्म 5-ए ना तो मौका पर भरा गया तथा ना ही अप्रार्थी अथवा गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी के स्टॉफ द्वारा अप्रार्थी संख्या:-1 से खाली फार्म 5 ए एवं खाली कागजों पर डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। परिवादी ने मौका पर खुद भी फॉर्म नम्बर:-5 ए पर हस्ताक्षर नहीं किए।
  5. यह कि परिवाद की मद संख्या:-5 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी के स्टॉफ ने बिना किसी राशि भुगतान किए अप्रार्थी संख्या:-1 को डरा धमकाकर केश मीमो बनवाई थी और अप्रार्थी संख्या:-1 को कहा था कि परिवादी बहुत बड़े अधिकारी हैं, मगर उनके अनुसार काम ना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अप्रार्थी संख्या:-1 की उपस्थिति में केश मीमो पर मौका पर गवाहन के हस्ताक्षर नहीं किए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत केशमीमो अवैध है।
  6. यह कि परिवाद की मद संख्या:-6 असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी व उनके स्टॉफ मौका पर नमूने तैयार नहीं किए गए तथा ना ही लेबल चिपका कर हस्ताक्षर आदि करवाए गए तथा ना ही कोई नमूना सील चपड़ी किया गया। परिवादी व उनके स्टॉफ ने सारी कार्यवाही ऑफिस में जाकर की गई है और अप्रार्थी के जिस खाली कागजों पर विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर करवाए थे उनको कांट छांट कर उन का दुरुपयोग कर विधि विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया है।
  7. यह कि परिवाद की मद संख्या:-7 असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी व उनके स्टॉफ द्वारा मौका पर फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा ना ही किसी ऐसी रिपोर्ट को अप्रार्थी अथवा गवाहन को पढ़कर सुनाया गया।
  8. यह कि परिवाद की मद संख्या:-8 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।
  9. यह कि परिवाद की मद संख्या:-9 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा विधि के अनुसार नमूने एफ एस एल नहीं भिजवाए जिस कारण एफ एस एल की रिपोर्ट सही नहीं आई।
  10. यह कि परिवाद की मद संख्या:-10 कानूनी हैं।
  11. यह कि परिवाद की मद संख्या:-11 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राज.)

12 यह कि बाजार में अप्रार्थीगण से प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्यमियों की बातों में आकर उन उद्यमियों से सांठ-गांठ कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा परिवाद, परिवादी द्वारा पेश किया गया है जो कि खारिज किए जाने योग्य हैं।

अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जायें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Edible Oil (family lite premium quality) का सैम्पल K-1926 स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक— L.S./1248/Act/2023/1248 Dated 25.08.2023 **Contravenes the Regulation Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी का परिवाद असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जायें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Edible Oil" bearing Code No and Sr. No. K-1926, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Contravenes of Regulation No.2.12.1(3) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, Act-2011 as Category or Sub-category of food not mentioned.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर), मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 228 बी—उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर), मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 228 बी—उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर को राशि रूपये 50,000—00 (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3  
(सुभाष कुमार)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर।